वैस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सभी

सदस्यों को चैम्बर की तरफ से देश के 75वें

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

AUGUST 2022

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax:** 0121-4346686

E-mail:wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri Shashank Jain
- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri G.C. Sharma
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Manish Kumar

INDEX

- 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर, तो अक्टूबर से सभी कंपनियों के लिए ई-इनवॉइस बनाना होगा जरूरी
- महिला उद्यमियों को स्टांप शुल्क में मिलेगी शत-प्रतिशत छूट
- उद्यमियों संग संवाद के लिए खुलेगा 30 सीटर कॉल सेंटर
- एमएसएमई की भागीदारी बढ़ाने के लिए ओएनडीसी और सिडबी में समझौता
- आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाकर 5.4% किया, लोन महंगे होंगे
- फेड के कदम से महंगाई में राहत की आस
- बैंकों में क्यों बढ़ रही है अन्क्लेम्ड राशि की रकम, बैंक अकाउंट के लिए क्यों जरूरी है नॉमिनेशन?
- कानूनी वारिस को दाखिल करना होगा मरने वाले का कर रिटर्न
- ITR Filing AY 2022-23: नहीं बढ़ी डेडलाइन, 31 जुलाई तक भरे गए 5.8 करोड़ से अधिक आईटीआर
- डिजिटल हस्ताक्षर से बदल सकते है पासवर्ड, आयकर विभाग ने जारी किया है एएफक्यू
- घबराएं नहीं, आयकर रिटर्न को संशोधित करना है काफी आसान
- समय पर ई-सत्यापन नहीं तो अमान्य हो जाएगा आईटीआर
- देश में बिजली उत्पादन क्षमता 2030 तक 8,20,000 मेगावॉट होगी: आर के सिंह
- उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल को किया सस्ता, जानें क्या हैं नए रेट
- चारो श्रम कानूनों का मसौदा तैयार, सही समय पर होंगे लागू: भूपेंद्र
- 15 गुणा शुल्क लेकर दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों को नवीनीकरण से मुक्त करने की तैयारी
- योगी सरकार का अहम फैसला, कारखानों के संचालन के लिए अब एक रजिस्ट्रेशन और एक लाइसेंस
- योगी कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला, श्रम विभाग में दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानो का अब सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन
- कोयले की कमी और GST की मार, यूपी में एक साल तक बंद रहेंगे ईंट-भट्ठे
- PM Gati Shakti: यूपी के विकास को नई गति देगी गति शक्ति, एक क्लिक में पता चलेगी प्रोजेक्ट की स्थिति
- छावनी में ऑनलाइन मानचित्र की शुरुआत, पहला आवेदन स्वीकृत

10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर, तो अक्टूबर से सभी कंपनियों के लिए ई-इनवॉइस बनाना होगा जरूरी

जीएसटी (GST) में पंजीकृत सालाना 10 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा का टर्नओवर करने वाली कंपनियों के लिए अब ई-इनवॉइस (e-invoice) बनाना जरूरी होगा। इसे एक अक्टूबर से लागू किया जाएगा। यह उन कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा, जो बीटुबी (बिजनेस-टु-बिजनेस) का कारोबार करती हैं।

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कहा, अभी 20 करोड़ रुपये और इससे ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए ई-इनवॉइस (e-invoice) बनाना जरूरी है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (central board of excise and customs) ने एक अगस्त को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी। जीएसटी परिषद (GST Council) ने ई-इनवॉइस को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया था। सीबीआईसी ने कहा, यह व्यवस्था लागू होने के बाद बीटुबी लेनदेन (Business to Business Transaction) पर सभी कंपनियों के लिए जीएसटी के तहत कर अधिकारियों को बिल मिलान की जरूरत नहीं होगी। भविष्य में व्यवस्था के तहत कारोबारियों को सभी रिटर्न फॉर्म पहले से भरे हुए मिलेंगे।

2020 में 500 करोड़ रुपये के लिए था नियम:

एक अक्टूबर, 2020 से बीटुबी लेनदेन उन कंपनियों के लिए जरूरी किया गया था, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ रुपये था। एक जनवरी, 2021 को इसका दायरा बढ़ाकर इसमें 100 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियों को शामिल कर लिया गया। अप्रैल, 2021 से 50 करोड़ रुपये और इसी साल एक अप्रैल से 20 करोड़ रुपये का टर्नओवर करने वाली कंपनियों को भी इस दायरे में शामिल कर लिया गया।

5 करोड़ वाली कंपनियां भी आ सकती हैं दायरे में:

सीबीआईसी की योजना आगे चलकर 5 करोड़ रुपये के कारोबार वाली कंपनियों को भी इसके दायरे में लाने की है। डेलॉय इंडिया के भागीदार एमएस मणि ने कहा कि इस फैसले से जीएसटी के कर आधार का और विस्तार होगा। साथ ही बेहतर अनुपालन को सक्षम बनाने के लिए कर अधिकारियों को अधिक आंकड़े मिल सकेंगे। हालांकि आगे चलकर सभी कैटेगरी के जीएसटी करदाताओं के लिए यह अनिवार्य होगा।

12 फीसदी टैक्स स्लैब को हटाने की तैयारी:

सूत्रों के मुताबिक, मंत्रियों का समूह जीएसटी में से 12 फीसदी टैक्स स्लैब को हटाने पर विचार कर रहा है। जीएसटी के कुल राजस्व में 12 फीसदी स्लैब का योगदान सबसे कम केवल 8 फीसदी है, इसलिए इसे खत्म किया जा सकता है। मंत्रियों के समूह को इस पर रिपोर्ट सौंपने के लिए जून में 3 महीने का समय दिया गया था। 12 फीसदी स्लैब में फलों के जूस, बादाम, सोलर वॉटर हीटर और अन्य सामान आते हैं।

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Mfrs. of:

Pharmaceuticals Industrial Chemicals, Bulk Drugs & Drug Intermediates

Corporate Office & Works:
303-A, Industrial Area, Partapur Centre,
Meerut- 250103 (U.P.) India
Ph.: 91-121-2440711
Email: lionramkumar@gmail.com

Regd. Office:
204, M.J. Shopping
3, Veer Savarkar Block, Shakarpur, Delhi-110092
Ph.: 91-11-22217636

महिला उद्यमियों को स्टांप शुल्क में मिलेगी शत-प्रतिशत छूट

उत्तर प्रदेश में छोटे उद्योग लगाने पर महिला उद्यमियों को जमीन खरीद पर स्टांप शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अन्य उद्यमियों के लिए भी क्षेत्र के हिसाब से 50 से 100 प्रतिशत तक की रियायत दी जाएगी। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योग, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग और पर्यटन समेत कई नीतियों में संशोधन किया जा रहा है। इसी के तहत एमएसएमई इकाइयां लगाने वाले उद्यमियों के लिए विशेष राहत देने के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 80 लाख करोड़ रुपये (1 ट्रिलियन यूएस डॉलर) का आकार देने की मुहिम में जुटी योगी सरकार ने औद्योगिक निवेश को अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल किया है। इसी के तहत नई एमएसएमई नीति में महिला उद्यमियों को खास तवज्जो दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। इसमें उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए पूर्वांचल व बुंदेलखंड में निवेश करने पर स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत, मध्य यूपी व पश्चिमी यूपी में 75 प्रतिशत और गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं, महिला उद्यमियों को यूपी में कहीं भी उद्योग लगाने पर जमीन खरीद पर स्टांप शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

इस नीति के तहत उद्यमियों को बुंदेलखंड व पूर्वांचल में सूक्ष्म उद्योग लगाने पर 25 प्रतिशत, लघु उद्योग लगाने पर 20 प्रतिशत व मध्यम उद्योग लगाने पर 15 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। मध्य यूपी और पश्चिमी यूपी में यह सब्सिडी क्रमश: 20 प्रतिशत, 15 प्रतिशत व 10 प्रतिशत होगी। एससी, एसटी व महिला उद्यमियों को 2 प्रतिशत की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। उद्यम लगाने वाले सभी उद्यमियों के लिए इस सहायता की अधिकतम सीमा पांच करोड़ रुपये होगी।

ब्याज में छह प्रतिशत तक की छूट:

योगी सरकार उद्योग लगाने के लिए कर्ज लेने पर उद्यमियों को ब्याज पर पांच साल तक ब्याज उपादान भी देगी। बुंदेलखंड और पूर्वांचल में सूक्ष्म उद्योग के लिए यह ब्याज उपादान छह प्रतिशत और लघु व मध्यम उद्योग के लिए पांच-पांच प्रतिशत होगा। योगी सरकार के

पहले कार्यकाल में करीब एक करोड़ लोगों को 2.50 लाख करोड़ रुपये का ऋण मिला। नतीजतन इस सेक्टर में लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिला।

उद्यमियों संग संवाद के लिए खुलेगा 30 सीटर कॉल सेंटर

प्रदेश में एमएसएमई विभाग उद्यमियों के साथ संवाद के साथ जल्द ही 30 सीटर कॉल सेंटर खोलेगा। उद्यम सारथी एप से मिले अच्छे नतीजों के बाद यह निर्णय लिया गया है। यह कॉल सेंटर हर कार्य दिवस में सुबह नौ से शाम सात बजे तक चर्चा करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य सीधे उद्यमियों की समस्याओं का समाधान है।

एमएसएमई की भागीदारी बढ़ाने के लिए ओएनडीसी और सिडबी में समझौता

अधिक से अधिक छोटे उद्यमी व दुकानदारों को ई-कॉमर्स से जोड़ने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) ने स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी) के साथ समझौता किया है। समझौते के तहत सिडबी छोटे उद्यमी व दुकानदारों को ओएनडीसी की पूरी जानकारी देगा और उससे जुड़ने के फायदे भी बताएगा। सिडबी मुख्य रूप से छोटे उद्यमी व कारोबारियों को लोन मुहैया कराता है। इस वजह से सिडबी की मदद से अधिक से अधिक एमएसएमई को ओएनडीसी से जोड़ा जा सकता है।

सिडबी ओएनडीसी से जुड़ने वाले उद्यमियों को ई-कॉमर्स वित्तीय सहायता भी मुहैया कराने का काम करेगा। वहीं, छोटे उद्यमियों के उत्पादों मार्केटिंग के काम में भी मदद करेगा। कोयंबटूर और लुधियाना के एमएसएमई क्लस्टर से इसकी शुरुआत की गई है। ओएनडीसी के सीईओ टी. कोशी ने बताया कि इस समझौते से हम बढ़ा नेटवर्क तैयार कर रहे है। हम सिडबी से जुड़े उद्यमियों को ओएनडीसी से जोड़ेंगे, जिससे छोटे उद्योगों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ने में आसानी होगी और उनका तेजी से विकास होगा।

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जुड़ने वाले उद्यमी या कारोबारियों को अपने उत्पाद को ग्राहक तक पहुंचाने की चिंता नहीं होगी। इस प्लेटफॉर्म पर क्रेता-विक्रेता और

लॉजिस्टिक कंपनियां है। इस प्लेटफार्म पर क्रेता को भारी संख्या में विक्रेता मिलेंगे और विक्रेता को क्रेता।

बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के एकाधिकार को समाप्त करने के उद्देश्य से वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की देख रेख में ओएनडीसी प्लेटफार्म विकसित किया गया है ताकि अधिक से अधिक छोटे दुकानदारों को ओएनडीसी प्लेटफार्म से जुड़ने का मौका मिल।

आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाकर 5.4% किया, लोन महंगे होंगे

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने रेपो रेट को 50 बेसिस प्वाइंट तक बढ़ाने का फैसला लिया है। आरबीआई (RBI) के इस फैसले के बाद अब रेपो रेट की दर 4.9% से बढ़कर 5.40% हो गई है। केंन्द्रीय बैंक (Central Bank) की ओर से कहा गया है कि फैसला वर्तमान प्रभाव से ही लागू होगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikant Das) ने इस फैसले की जानकारी दी है।

आरबीआई गवर्नर ने तीन दिनों (तीन अगस्त से पांच अगस्त) तक चली एमपीसी (Monetary Policy Committee) की बैठक के बाद इस फैसले का एलान किया है। अंदेशा जताया जा रहा था कि आरबीआई अपनी इस बैठक में रेपो रेट को एक बार फिर बढ़ा सकता है। बता दें कि पिछली बार हुई एमपीसी की बैठक में रेपो रेट बढ़ाने का फैसला लिया गया था। मई और जून के महीने में हुई एमपीसी की बैठक में रेपो रेट को दो बार 50-50 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 4.90% कर दिया गया था।

केंद्रीय बैंक के इस फैसले की जानकारी देते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्वाभाविक रूप से वैश्विक आर्थिक स्थिति से प्रभावित हुई है। हम उच्च मुद्रास्फीति की समस्या से जूझ रहे हैं। हमने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 3 अगस्त तक 13.3 अरब अमेरिकी डॉलर के बड़े पोर्टफोलियो का प्रवाह देखा है।

महंगाई दर 7.1% से अधिक:

बता दें कि जून के महीने में महंगाई की दर 7.01% रही। लगातार छठी बार महंगाई की दर आरबीआई की तय सीमा छह फीसदी से अधिक रही है। इससे पहले मई महीने में खुदरा महंगाई दर 7.04 थी। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय बैंक आरबीआई ने साल 2022-23 के लिए महंगाई दर के अनुमान को भी 5.7 फीसदी से बढ़ाकर 6.7 फीसदी कर दिया है।

कैसे काम करता है रेपो रेट?

भारतीय रिजर्व बैंक बाजार में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट का इस्तेमाल करता है। जब बाजार महंगाई की गिरफ्त में होती है तब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है। बढ़ी हुई रेपो रेट का मतलब होता है कि जो बैंक आरबीआई से पैसे लेंगे उन्हें वह पैसा बढ़ी हुई ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।

रेपो रेट बढ़ने से महंगे होंगे लोन ईएमआई:

ऐसे में ब्याज दर बढ़ने से बैंक आरबीआई से कम पैसा लेंगे और बाजार में मुद्रा के प्रवाह नियंत्रण बना रहेगा। बैंक महंगे दर पर आरबीआई से लोन लेंगे तो वे महंगे दर पर आम लोगों को भी लोन जारी करेंगे। इससे आम आदमी का ईएमआई महंगा

होगा। इसे देखते हुए लोग लोन कम लेंगे और कम खर्च करेंगे। इससे बाजार में मांग घटेगी और पूरी प्रक्रिया से महंगाई को नियंत्रित करने से मदद मिलेगी। ब्रांच इंटरनेशनल के फाइनेंस इंडिया हेड अंशु अग्रवाल का कहना है कि सभी एनबीएफसी बाजार से पैसा लेते हैं और ग्राहकों को लोन के रूप में देते हैं। उधार लेने की लागत और उधार देने से होने वाली आय के बीच का अंतर ही एनबीएफसी के लिए लाभ होता है। अगर उधार लेने की लागत बढ़ती है तो उधार देने की रेट भी बढ़ेगी। ऐसे में इसका भार ग्राहकों पर पड़ेगा। रेपो रेट के बढ़ने से ईएमआई बढ़ जाएगी।

फिक्स्ड ब्याज दर पर लिया है लोन तो चिंता की जरूरत नहीं:

अगर आपने फिक्स्ड रेट पर बैंक से लोन लिया है तो रेपो रेट बढ़ने से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका असर केवल वेरिएबल दरों पर लिए गए कर्ज पर ही पड़ेगा। फिक्स्ड रेट पर लिए गए लोन पर आगे होने वाले उतार-चढ़ाव का असर ब्याज दरों पर नहीं होता है। वहीं वेरिएबल ब्याज दरों पर लिए गए लोन में बदलाव होता रहता है।

THE RUG REPUBLIC
Live Smart, Buy Right.
Kirti Nagar/Delhi: 2/5, WHS
(150m from Kirti Nagar Fire Station)
Noida: A-32, Sector 63
(Off Nh24, Opp. Indirapuram)
MG ROAD/DELHI: M.G. Road, Ghitorni (Pillar #128)
Live.smart@tfrhome.com / www.tfrhome.com

फेड के कदम से महंगाई में राहत की आस

अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा प्रमुख मानक ब्याज दर में 75 आधार अंक (बीपीएस) की बढ़ोतरी किए जाने के बाद भारत को चालू वित्त वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर और चालू खाते के घाटे (सीएडी) के मोर्चे पर कुछ राहत मिल सकती है।

इक्रा में मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, 'अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा की गई सख्ती से जिंसों के दाम गिरते हैं तो इससे घरेलू महंगाई कम हो सकती है और यह एमपीसी (मौद्रिक नीति समिति) की ओर से तय सीमा के भीतर आ सकती है।'

खुदरा महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय 4 प्रतिशत लक्ष्य (जिसमें 2 प्रतिशत की घट-बढ़ हो सकती है) के ऊपर चल रही है। जून में लगातार छठे महीने में खुदरा महंगाई 6 प्रतिशत से ऊपर रही है, हालांकि यह मई के 7.04 प्रतिशत की तुलना में जून में थोड़ा घटकर 7.01 प्रतिशत रही है।

नायर ने कहा कि जिंसों के दाम कम होने से मासिक व्यापार घाटे के आंकड़ों पर दबाव भी कम होगा। जून में भारत का व्यापार घाटा अब तक के सर्वोच्च स्तर पर 26.18 अरब डॉलर रहा है, जो इसके पहले महीने में 24.29 अरब डॉलर था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में व्यापार घाटा बढ़कर 70.8 अरब डॉलर हो गया, जो एक साल पहले के 31.42 अरब डॉलर की तुलना में दोगुने से ज्यादा है। इससे चालू खाते का घाटा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का कम से कम 3 प्रतिशत हो सकता है, जो एक साल पहले 1.2 प्रतिशत था।

बैंक आफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा कि संकेत यह हैं कि यह अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा की गई आखिरी बढ़ोतरी नहीं है और इस तरह से और आक्रामक कदमों के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा, 'इसका मतलब यह है कि एफपीआई (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों) की वापसी साल के शेष महीनों में भी और इससे भुगतान अवशेष पर दबाव बढ़ेगा।' सबनवीस ने कहा, 'धीरे धीरे हम वृद्धि में सुस्ती देख सकते हैं, जिससे जिंस के दाम कम होंगे। एक मायने में यह व्यापार के लिए लाभदायक होगा।'

एचडीएफसी बैंक में प्रधान अर्थशास्त्री साक्षी गुप्ता ने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने कुछ ऐसा फैसला किया है, जो पर्याप्त तेज तर्रार है, लेकिन बहुत आक्रामक नहीं, इससे अमेरिका में गहरी मंदी का कुछ भय कम हुआ है। उन्होंने कहा, 'इससे कम अवधि के हिसाब से रुपये के स्थिर होने में मदद मिल सकती है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिफल और डॉलर नीतिगत घोषणा के बाद कुछ कमजोर हुआ है।'

बैंकों में क्यों बढ़ रही है अन्क्लेम्ड राशि की रकम, बैंक अकाउंट के लिए क्यों जरूरी है नॉमिनेशन?

भारतीय बैंकों के पास बिना दावे वाली राशि लगातार बढ़ती जा रही है। आरबीआई के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 में बैंकों में बिना दावे वाली राशि बढ़कर 48,262 करोड़ रुपए हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, अगर कोई उपभोक्ता अपने खाते से 10 साल तक कोई लेनदेन नहीं करता है तो उस खाते में जमा रकम अन्क्लेम्ड हो जाती है। जिस खाते से लेनदेन नहीं किया जा रहा है, वह निष्क्रिय (Dormant account) हो जाता है। अन्क्लेम्ड राशि को रिजर्व बैंक के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEAF) में डाल दिया जाता है। हालांकि उसके बाद भी ग्राहक के अनुरोध पर वह राशि वापिस मिल सकती है लेकिन काफी लम्बी प्रक्रिया होती है। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकों द्वारा कई जागरुकता अभियान चलाने के बावजूद समय के साथ बिना दावे वाली राशि लगातार बढ़ती जा रही है।

किसी बैंक खाते के निष्क्रिय होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे खाता धारक की मृत्यु होना, परिवार वालों को मृतक के खाते के बारे में जानकारी न होना, गलत पता या फिर खाते में नॉमिनी दर्ज न होना। इसलिए खाता धारक की मृत्यु के बाद उसके खाते की रकम ग्राहक के परिवार को मिलने में मुश्किल होती है। खाते में नॉमिनेशन न होने और खाता सिंगल नाम से होने में ये मुश्किल आती है और परिवार को जमा राशि को लेने के लिए कोर्ट के ऑर्डर लेने की आवश्यकता पड़ती है।

बैंकों के सभी खाता धारकों को देखना चाहिए कि उनके खाते में घर का सही पता और नॉमिनी का नाम लिखा है या नहीं। यदि नहीं लिखा हुआ है तो बैंक में इसको अपडेट करवाना चाहिए। परिवार के सदस्यों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए।

परिवार को भी सभी सदस्यों के खातों में सही पता तथा नॉमिनी को चेक करना चाहिए। वैसे तो सभी तरह के खातों में दो लोगों के नाम से जॉइंट एकाउंट खोलना चाहिए नहीं तो नॉमिनेशन अवश्य करवाना चाहिए। बैंकों में नॉमिनेशन की सुविधा सभी तरह के खातों और लॉकर में भी उपलब्ध होती है।

कानूनी वारिस को दाखिल करना होगा मरने वाले का कर रिटर्न

यदि किसी व्यक्ति की कुल आय छूट की मूल सीमा से अधिक है तो उसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। उस व्यक्ति की मौत हो जाए तब भी यह काम करना ही होता है और इसकी जिम्मेदारी उसके कानूनी वारिस पर आ जाती है। 'कानूनी वारिस को मृत व्यक्ति के प्रतिनिधि के तौर पर उसकी ओर से रिटर्न दाखिल करना होगा। ऐसा करने के लिए वारिस को बतौर प्रतिनिधि अपना पंजीकरण ई-फाइलिंग पोर्टल पर कराना होगा।'

SARU METALS

SARU SMELTING PRIVATE LIMITED

SARU NAGAR, SARDHANA ROAD, MEERUT- 250001 (INDIA)

Tel.: 0121-2556051, 2555449, Fax: 0121-2555969

Email: info@sarumetals.com

Website: www.sarumetals.com

पंजीकरण और मंजूरी:

आवेदन करते समय प्रतिनिधि के पास मृतक व्यक्ति के अहम दस्तावेज तो होने ही चाहिए, कुछ ब्योरा भी होना चाहिए। इसमें मृत व्यक्ति और कानूनी वारिस के पैन कार्ड, अदालत या स्थानीय कर निकाय से वारिस होने का प्रमाणपत्र और मृतक का पेंशन प्रमाणपत्र शामिल हैं। सारे कागजात जमा होने के बाद कानूनी वारिस के आवेदन की जांच की जाती है। उसके बाद ही ई-फाइलिंग प्रशासक उसे मंजूर करता है।

रिटर्न दाखिल नहीं किया तो:

यदि मृत व्यक्ति की ओर से रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है या कर देनदारी नहीं चुराई जाती है तो दंड दिया जा सकता है। 'अगर कानूनी वारिस आयकर अधिनियम की धारा 139 में दी गई तारीख तक या उससे पहले रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो धारा 270ए के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। करदाता ने जो कर नहीं चुकाया होता है, उसके 50 फीसदी के बराबर जुर्माना होता है। वारिस पर धारा 276सीसी के तहत मुकदमा भी चलाया जा सकता है।' रिटर्न दाखिल नहीं हुआ को धारा 276सीसी के तहत जेल हो सकती है।

'रिटर्न दाखिल नहीं किया गया तो धारा 234एफ के तहत विलंब शुल्क लगाया जाएगा और धारा 234ए के तहत उस पर ब्याज भी लगेगा। साथ ही ऐसा होने पर धारा 148 के तहत छिपाई गई आय का आकलन भी शुरू किया जा सकता है।' अंतिम तारीख के बाद रिटर्न दाखिल करने पर आयकर अधिनियम की धारा 234एफ के तहत 1,000 रुपये (जिनकी आय 5 लाख रुपये तक है) या 5,000 रुपये (5 लाख रुपये से अधिक आय होने पर) जुर्माना लगाया जा सकता है। करदाताओं को नोटिस धारा 148 के तहत भेजा जाता है। 'कानूनी वारिस की जवाबदेही वहीं तक होती है, जहां तक एस्टेट बकाया चुकाने में सक्षम होता है। मगर कानूनी वारिस पर निजी रूप से एस्टेट की उस संपत्ति की कीमत के बराबर जवाबदेही बनती है, जिसे वह बेचता है या जिस पर वह कर्ज लेता है।'

दो रिटर्न भरने जरूरी:

जिस साल मौत हुई हो, उस साल के लिए दो अलग-अलग रिटर्न दाखिल करने होते हैं। 'एक रिटर्न कानूनी वारिस को दाखिल करना होगा, जो वित्त वर्ष की शुरुआत से उस व्यक्ति की मौत तक हुई आय के लिए होगा।

दूसरा रिटर्न मृतक व्यक्ति के एस्टेट को हुई आय के लिए एक्जिक्यूटर को भरना होगा। उसमें मौत की तारीख से लेकर कानूनी वारिस को एस्टेट की संपत्तियां सौंपे जाने तक की तारीख की आय होगी।' एस्टेट जब कानूनी वारिस को सौंप दी जाती है तब उससे होने वाली आय वारिस की आय ही मानी जाती है।

इन बातों का रखें ध्यान:

रिटर्न दाखिल करना कई परिस्थितियों में बहुत फायदेमंद रहता है। 'यदि किसी व्यक्ति की मौत वित्त वर्ष के बीच में हो जाती है तो उसके कानूनी वारिस को रिटर्न दाखिल करना चाहिए क्योंकि बीमा के दावे के वक्त यही रिटर्न उसकी आय के प्रमाण का काम करता है।'

रिटर्न में किसी भी तरह की गलती होने पर जिम्मेदारी कानूनी वारिस की ही होती है। 'कानूनी वारिस को रिटर्न दाखिल करने से पहले पूरी जानकारी जांच लेनी चाहिए। यदि असली रिटर्न में किसी तरह की गलती है या कुछ छूट गया है तो वह कर निर्धारण वर्ष खत्म होने से तीन महीने पहले या कर आकलन पूरा होने से पहले उसे ठीक किया जा सकता है। इन दोनों में से जो भी पहले आ जाए, उससे पहले ही यह करने का मौका मिलता है।' देर से दाखिल किया गया रिटर्न भी संशोधित किया जा सकता है और जितनी बार जरूरत हो उतनी बार किया जा सकता है।

SANSPAREILS GREENLANDS PVT. LTD (SG)

Mfrs. & Exporter

Cricket Gear, Apparels & Bags

Add: 1250, Opp. Airport, Gagol Road, Partapur,Meerut – 250103

Email: sales@teansg.in, Mobile : 8475888843

यदि मौत की तारीख तक मरने वाले की आय को मिलाकर कानूनी वारिस की कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक बैठती है तो वारिस को वित्त वर्ष के अंत में अपने पास मौजूद सभी संपत्तियों और देनदारी का ब्यारा अनुसूची में देना चाहिए। साथ ही रिटर्न दाखिल करने के बाद मृतक का पैन कार्ड भी जमा कर दिया जाना चाहिए।

ITR Filing AY 2022-23: नहीं बढ़ी डेडलाइन, 31 जुलाई तक भरे गए 5.8 करोड़ से अधिक आईटीआर

वित्त वर्ष 2021-22 या असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए 31 जुलाई तक 5.8 करोड़ से अधिक ITR फाइल किए गए। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। ऐसे में जिन करदाताओं ने 31 जुलाई तक भी अपना आईटीआर फाइल नहीं किया, उन्हें आज से इसके लिए जुर्माना देना होगा। देर से आईटीआर फाइल करने पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना है। इसका मतलब है कि आप 1 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक 5 हजार रुपये का जुर्माना देकर आईटीआर फाइल कर सकते हैं। सैलरीड कर्मचारियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए AY 2022-23 का आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 30 जुलाई तक 5 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल किए गए थे। बता दें कि सरकार ने पहले ही आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि, कई करदाताओं को डेट आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद थी।

JAIN & ASSOCIATES

Engineers, Architects, Planners, Structural Designers, Bank Panel Valuers

305, Circular Road, Near Hanuman Chowk, Meerut Cantt- 250001
Phones: 0121-4033312, 9837300983
E-mail: ja.meerut@gmail.com

31 जुलाई तक 5.8 करोड़ से अधिक रिटर्न फाइल:

AY 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न की अंतिम तारीख यानी 31 जुलाई को लगभग 68 लाख आईटीआर दाखिल किए गए। आयकर विभाग ने कल 31 जुलाई को ट्वीट करते हुए कहा, “आज दाखिल किए गए आयकर रिटर्न के आंकड़े, 31 जुलाई को 23 घंटे तक 67,97,067 आईटीआर फाइल किए गए और पिछले 1 घंटे में 4,50,013 आईटीआर फाइल किए गए.” 31 जुलाई तक कुल 5.8 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे, जो उन करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख थी, जिनके खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है।

डिजिटल हस्ताक्षर से बदल सकते है पासवर्ड, आयकर विभाग ने जारी किया है एएफक्यू

आयकर विभाग ने आईटीआर भरने वालों और कॉरपोरेट जगत के लिए बार-बार पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) का एक ब्योरा जारी किया है। इसमें कहा गया है कि डिजिटल हस्ताक्षर का सत्यापन कर पासवर्ड बदल सकते हैं। ई-फाइलिंग खाते में इंटरनेट बैंकिंग के जरिये सीधे भी लॉग-इन कर सकते हैं। आयकरदताओं ने ज्यादा सवाल एआईएस, 26 एएस में दिखाई देने वाली आय में अंतर, बैंक ब्याज की बचत के लिए कटौती, कर व्यवस्था में बदलाव और ऑफलाइन रिटर्न भरने जैसे सवाल पूछे थे।

एफएक्यू में बताया गया है कि विभिन्न बैंकों को आयकर विभाग की ओर से सभी जानकारी 3-4 दिनों में भेज दी जाती है। उसके बाद ही वह जानकारी आयकर रिटर्न या पहले से भरे गए ब्योरे में जुड़ती है। आईटीआर में कर भुगतान की जानकारी अपने आप दिखने लगती है। लेकिन, इसके लिए करदाताओं को थोड़ा इंतजार करना होगा।

कॉरपोरेट के लिए 31 अक्तूबर तक भरना होगा आयकर रिटर्न:

कॉरपोरेट और कारोबारियों के लिए 31 अक्तूबर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख होती है। ऐसे मामलों में जहां करदाता पहले से भरे हुए विवरणों के अलावा अतिरिक्त विवरण पहले ही भर चुका है, ऐसे भुगतान विवरण को अग्रिम कर के लिए विवरण जोड़ें लिंक पर क्लिक करने के बाद मैन्युअल रूप से दर्ज किया जा सकता है।

एनआरआई के लिए उपयोगी:

एनआरआई के पास आधार कार्ड नहीं होता है। इसलिए इस तरह के जवाबों से उन्हें आयकर भरने में आसानी होगी। वे अपने कानूनी वारिस को पंजीकृत कर सकते हैं।

54 लाख रिटर्न भरे गए आखिरी दिन:

30 जुलाई तक 5.10 करोड़ आईटीआर भरे गए थे। 31 जुलाई रात 8 बजे तक 54 लाख रिटर्न भरे गए। विभाग ने कहा, पहले एक घंटे में 4.73 लाख आईटीआर भरे गए थे। पिछले वित्तवर्ष में 5.95 करोड़ रिटर्न भरे गए थे।

घबराएं नहीं, आयकर रिटर्न को संशोधित करना है काफी आसान

आयकर रिटर्न भरना और संशोधित करना अब काफी आसान कर दिया गया है। ऐसे में सही समय पर और बेहद सावधानी से रिटर्न भरना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसमें छोटी सी चूक आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। इसके लिए आपको आयकर विभाग से नोटिस भी मिल सकता है। साथ ही यदि रिफंड बनता है तो वह भी फस सकता है। यदि रिटर्न में आपसे कोई गलती हो गई है तो बेहद आसान तरीको से उसे संशोधित कर सकते है।

SHIVANGI INTERNATIONAL

Dealing in:

Trading, Real Estate, Mining, Manufacturing, Hospitality,
Distribution & Marketing

A-216, 2nd Floor, Apex Meerut Mall, Delhi Road, Meerut
Tel. 91-121-2517723, Mobile: 91-9997041110
Email: shivangi2@gmail.com, info@shivangiinternational.com
Website: www.shivangiinternational.com

देरी पर जुर्माना:

आयकर विभाग के आकड़ो के मुताबिक 31 जुलाई 2022 तक करीब 5.83 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए, जिनमे से 72.42 लाख रिटर्न आखिरी दिन दाखिल किए गए। इसके बावजूद काफी संख्या में ऐसे लोग है जो किसी वजह से आईटीआर समय से नहीं दाखिल कर पाए है। ऐसे लोग जिनकी आय पांच लाख से कम है वह एक हजार रूपये जुर्माना और जिनकी आय पांच लाख रूपये से अधिक है वह पांच हजार रूपये का जुर्माना देकर आईटीआर भर सकते है।

जानें- कैसे दाखिल करें संशोधित आईटीआर:

- सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
- इसके बाद आपको ई-फाइल मेन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है और रेक्टिफिकेशन लिंक पर क्लिक करना है.
- यहां आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से 'ऑर्डर/इंटिमेशन टू रेक्टीफाइड' विकल्प से आकलन वर्ष का चयन करना होगा.
- अब आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा. यहां आप अपने सुधार का कारण चुन सकते हैं.
- उदाहरण के लिए, कोई टैक्स क्रेडिट बेमेल है या जो भी कारण है, उसे चुनें.
- यहां अपडेट की गई जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- अब अगर यह रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है तो आपको सक्सेस मैसेज दिखाया जाएगा.
- इससे संबंधित मेल भी आपकी मेल आईडी पर प्राप्त होगा.

अनुरोध स्थिति की जांच कैसे करें:

- अगर आपने आईटीआर रिवाइज किया है तो आप उसका स्टेटस भी आसानी से देख सकते हैं.
- इसके लिए आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा.

- इसके बाद आपको यहां माई अकाउंट मेन्यू में 'व्यू ई-फाइल रिटर्न/फॉर्म्स' का विकल्प दिखाई देगा.
- यहां ड्रॉपडाउन सूची से रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट विकल्प चुनें
- फिर सबमिट करें.
- इसके बाद आप अपने अनुरोध की स्थिति देखेंगे.

समय पर ई-सत्यापन नहीं तो अमान्य हो जाएगा आईटीआर

आकलन वर्ष 2022-23 या वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2022 बीत चुकी है। अगर आपने 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल किया है तो इसके ई-सत्यापन के लिए कम समय मिलेगा। ऐसा नहीं करने पर आपका आईटीआर अमान्य हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आईटीआर सत्यापन नियमों में बदलाव किया है।

नया नियम एक अगस्त, 2022 से लागू हो गया है। इसके तहत ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने वाले आयकरदाताओं को सत्यापन के लिए अब सिर्फ 30 दिन मिलेंगे। पहले इसके लिए 120 दिन का समय मिलता था। सीबीडीटी ने स्पष्ट कहा है कि इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से पहले जो रिटर्न भरे गए हैं, उनको पहले की तरह ही सत्यापन के लिए 120 दिन मिलेंगे।

दो तरीकों से कर सकते हैं सत्यापन:

आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया के आखिरी चरण में उसे सत्यापित करना होता है। इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से सत्यापित कर सकते हैं। आयकर पोर्टल पर दी गई जानकारी के मुताबिक, आयकरदाता भरे गए रिटर्न को कई तरीकों से ई-सत्यापित कर सकते हैं।

ऐसे करें ई-सत्यापन:-

आधार ओटीपी से:

इसके लिए आपके आधार का मोबाइल से लिंक होना जरूरी है। पैन और आधार भी लिंक होना चाहिए। इसके बाद आयकर विभाग के 'ई-वेरिफाई' पेज पर जाएं। वहां मोबाइल ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) से सत्यापन का विकल्प चुनें। इसके बाद 'जारी रखें' विकल्प को चुनकर आगे बढ़ें और नई स्क्रीन पर 'मैं अपने आधार के जरिये सत्यापन के लिए सहमत हूं' पर क्लिक करें। इसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। इसे डालकर अपना रिटर्न सत्यापित कर सकते हैं।

बैंक खाते के जरिये:

इसके लिए बैंक खाता पहले से सत्यापित होना चाहिए। यहां आयकरदाता इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जेनरेट कर आईटीआर सत्यापन कर सकते हैं। यह कोड आपके ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आएगा।

डीमैट खाते की मदद से:

आयकर विभाग के ई-वेरिफाई पेज जाकर डीमैट खाते का विकल्प चुनें। इसके बाद 'जारी रखें' बटन पर क्लिक करते ही आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड आएगा। इसे डालकर अपना आईटीआर सत्यापित कर सकते हैं।

देश में बिजली उत्पादन क्षमता 2030 तक 8,20,000 मेगावॉट होगी: आर के सिंह

द एनर्जी रिसोर्स इंस्टिट्यूट (टेरी) की रिपोर्ट जारी होने के मौके पर अपने संदेश में सिंह ने कहा, ''वर्ष 2030 तक कुल बिजली उत्पादन क्षमता 8,20,000 मेगावॉट पर पहुंच जाएगी। इसमें गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली की हिस्सेदारी 5,00,000 मेगावॉट होगी।' '

मंत्री जी ने कहा कि देश ने नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण क्षमता को जोड़ना शुरू कर दिया है। सरकार भंडारण पर सबसे बड़ी बोली लेकर आई है और बड़ी मात्रा के साथ भंडारण लागत को कम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हालांकि देश में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे कम है। इसके बावजूद ऊर्जा बदलाव लक्ष्यों के प्रति भारत पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

टेरी ने रिपोर्ट में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिये व्यावहारिक रूपरेखा का जिक्र किया है। रिपोर्ट में 2030 तक के लक्ष्य को हासिल करने के लिये नीतियों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के स्तर पर हस्तक्षेप का सुझाव दिया गया है। साथ ही राज्यों के स्तर पर पंप्ड स्टोरेज सयंत्रों के साथ सौर उत्पादन के लिये 'फीड-इन-टैरिफ' व्यवस्था का आह्वान किया गया है। 'फीड-इन-टैरिफ' ऊर्जा नीति है, जिसका मकसद नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस योजना में सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उपलब्ध कराने वाले को उत्पादन लागत के आधार पर कीमत प्राप्त होती है।

टेरी की महानिदेशक विभा धवन ने बयान में कहा, ''भारत में नीतियों के स्तर पर व्यवस्था उपयुक्त है। लेकिन हमें नये ऊर्जा भंडारण समाधान और प्रौद्योगिकी को अपनाने की जरूरत है जो ग्रिड में स्थिरता और मजबूती लाते हैं। हमें अनुसंधान और नई प्रौद्योगिकी के विकास में निवेश के लिये सहयोग की आवश्यकता है।' '

उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल को किया सस्ता, जानें क्या हैं नए रेट

उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल की दरों में एक बड़ा बदलाव किया है। योगी सरकार के इस कदम से लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। नई दरों के मुताबिक शहरी क्षेत्र में रहने वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के पुराने 7 प्रति रुपये प्रति यूनिट के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए 6 रुपये के अधिकतम स्लैब को खत्म कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले का बड़ा फायदा 2.9 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (UPERC) ने नई दरों की घोषणा की है। इस दौरान यूपीईआरसी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिजली की दरों को नहीं बढ़ाने का भी

फैसला लिया। सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश में रहने वाली एक बड़ी जनता को राहत मिलने वाली है।

पिछले चार वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली की दरों में इजाफा नहीं किया है। इससे पहले सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 में बिजली की दरों में बढ़ोतरी की थी।

बिजली बिल की दरों में हुए बदलाव के बाद शहरी क्षेत्र में 0 से 100 यूनिट तक बिजली का उपभोग करने पर आपको 5.5 प्रति यूनिट रुपये खर्च करने होंगे। 101 से 150 यूनिट पर 5.5 रुपये प्रति यूनिट। वहीं 151 से 300 यूनिट पर आपको प्रति यूनिट 6 रुपये का भुगतान करना है। इसके अलावा अगर आप 300 से ज्यादा यूनिट का उपयोग करते हैं। ऐसे में आपको प्रति यूनिट 6.5 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं 7 रुपये प्रति यूनिट के स्लैब को खत्म कर दिया गया है। अगर आप बीपीएल परिवार से संबंधित हैं। ऐसे में आपको 100 यूनिट तक बिजली का उपभोग करने पर प्रति यूनिट 3 रुपये का भुगतान करना है।

ग्रामीण क्षेत्र में 0 से 100 यूनिट तक उपभोग करने पर प्रति यूनिट 3.35 रुपये। 101 से 150 यूनिट तक उपभोग करने पर आपको प्रति यूनिट 3.85 रुपये का भुगतान करना होगा। 151 से 300 पर 5 रुपये प्रति यूनिट, 300 से अधिक पर 5.5 रुपये प्रति यूनिट की पेमेंट करनी होगी। सरकार ने 500 यूनिट से अधिक उपभोग पर 6 रुपये के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में 500 यूनिट से अधिक उपभोग करने पर उपभोक्ता को 6 रुपये की जगह 5.5 रुपये का भुगतान प्रति यूनिट करना होगा।

चारो श्रम कानूनों का मसौदा तैयार, सही समय पर होंगे लागू: भूपेंद्र

केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कुछ राज्यों को छोड़कर लगभग सभी ने चारो श्रम कानूनों पर मसौदा नियम तैयार कर लिए है और इन्हे सही समय पर लागू कर दिया जाएगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब ऐसी अटकले लगाईं जा रही थी कि श्रम कानून जल्द लागू हो सकते है, लेकिन जब यादव ने बताया कि कुछ राज्य मसौदा नियमो पर काम कर रहे है। हालांकि, बाकी राज्यों ने चारो श्रम सहिंताओ पर अपने मसौदा नियम बना लिए है। उन्होंने कहा, राजस्थान ने दो सहिंताओ पर मसौदा नियम तैयार कर लिए जबकि दो अभी बाकी है।

गौरतलब है कि 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार श्रम सहिंताओ में मिलाकर उनका सरलीकरण किया गया है।

15 गुणा शुल्क लेकर दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों को नवीनीकरण से मुक्त करने की तैयारी

दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों का श्रम विभाग में अब एक बार ही पंजीकरण कराना होगा। हर पांच साल पर दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों के पंजीकरण का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। अब पंजीकरण के लिए वर्तमान में दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों की प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित वार्षिक शुल्क की 15 गुणा धनराशि रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर एकमुश्त जमा करनी होगी। जिन दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों में कोई कर्मचारी नहीं नियुक्त है, उन्हें पंजीकरण से मुक्त रखा जाएगा।

राज्य सरकार इसके लिए उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (नवम संशोधन) नियमावली, 1922 को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के तहत दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानो का पंजीकरण करना अनिवार्य है। अभी दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानो के पंजीकरण का नवीनीकरण प्रत्येक पांच वर्ष में कराने की व्यवस्था लागू है।

INDKRAFT EXPORTS

Manufacturers and Exporters of:

Indian Handicrafts, Silk, Woollen, Viscose, Cotton Shawls, Stoles, Pareos & Scarves

Bombay Bazar, Meerut Cantt- 250001
Phone: 0121-2664103, 4034103, 4322020
Fax: 91-121-2660063
Mobile: 9536202020
E-mail: info@indkrafts.com

कारोबारी सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के लिए सरकार ने दुकानदारों और वाणिज्यिक अधिष्ठानो के मालिकों को राहत देते हुए अब सिर्फ एक ही बार पंजीकरण की व्यवस्था लागू करने का निर्णय किया है।

योगी सरकार का अहम फैसला, कारखानों के संचालन के लिए अब एक रजिस्ट्रेशन और एक लाइसेंस

उत्तर प्रदेश में अब किसी अधिष्ठान या कारखाने को संचालित करने के लिए अब श्रम कानूनों (Labor Laws) से जुड़े अधिनियमों के तहत अलग-अलग रजिस्ट्रेशन कराने और लाइसेंस हासिल करने और रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। कारखानों का अब एक रजिस्ट्रेशन और एक लाइसेंस होगा। न ही उन्हें विभिन्न श्रम कानूनों के तहत अलग-अलग रजिस्टर रखने की जरूरत होगी।

अब उन्हें 54 की बजाय सिर्फ सात रजिस्टर रखने होंगे। कारखाने और प्रतिष्ठान अपने रिकार्ड इलेक्ट्रानिक फार्म में रख सकेंगे और सूचनाओं का आदान-प्रदान भी इलेक्ट्रानिक विधि से कर सकेंगे। श्रमिकों की सेवा शर्तों में भी एकरूपता होगी।

यह सब संभव होगा उत्तर प्रदेश व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-शर्त नियमावली, 2022 के अंतर्गत जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। श्रम कानूनों में सुधार के उद्देश्य से बनाई गई इस नियमावली के लागू होने पर प्रदेश में पहले से लागू श्रम कानूनों से जुड़ी छह नियमावलियां अतिक्रमित हो जाएंगी।

केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों से संबंधित 13 केंद्रीय अधिनियमों को समाहित करते हुए व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-शर्त संहिता (ओएसएच कोड) 2020 बनाई थी जिसे 28 सितंबर 2020 को सरकारी गजट में अधिसूचित कर दिया गया था लेकिन यह अभी लागू नहीं है। इस संहिता को प्रदेश में लागू करने के उद्देश्य से श्रम विभाग ने यह नियमावली बनाई है।

इस नियमावली में ओएसएच कोड के दायरे में आने वाले कारखानों, खतरनाक प्रक्रिया संचालित करने वाले कारखानों, बीड़ी व सिगरेट फैक्ट्रियों और बागान श्रमिकों के स्वास्थ्य,

व्यावसायिक सुरक्षा और कार्य की दशाओं और नियोजकों के कर्तव्यों से जुड़े प्राविधान शामिल हैं। यह नियमावली उस तारीख से लागू होगी जिसे केंद्र सरकार गजट में अधिसूचित करेगी।

महिलाएं कर सकेंगी रात में काम :

नियमावली में अधिष्ठान या कारखानों में कुछ शर्तों के साथ महिलाओं से रात में भी काम कराने का प्राविधान है। खतरनाक प्रक्रिया संचालित करने वाले कारखानों में महिलाओं का नियोजन प्रतिबंधित होगा। गर्भवती महिलाओं को खतरनाक कार्यों से जुड़े कारखानों में काम करने की अनुमति नहीं होगी।

योगी कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला, श्रम विभाग में दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानो का अब सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन

उत्तर प्रदेश श्रम विभाग (Uttar Pradesh Labor Department) में दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों का पंजीकरण अब सिर्फ एक बार कराना होगा। प्रत्येक पांच वर्ष पर दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों के पंजीकरण का नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी। पंजीकरण के लिए वर्तमान में दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों की प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित वार्षिक शुल्क की 15 गुणा धनराशि रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर एकमुश्त जमा करनी होगी। जिन दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों में कोई कर्मचारी नहीं नियुक्त है, उन्हें पंजीकरण से छूट होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (नवम् संशोधन) नियमावली, 2022 को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के तहत दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों का पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

अभी तक दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों के पंजीकरण का नवीनीकरण प्रत्येक पांच वर्ष में कराने की व्यवस्था लागू थी। दुकानदारों और कारोबारियों को राहत देने के लिए सरकार ने अब सिर्फ एक बार पंजीकरण की व्यवस्था लागू करने का निर्णय किया है।

इससे नया पंजीकरण कराने वाले दुकानदारों-व्यापारियों को हर पांच साल पर पंजीकरण का नवीनीकरण कराने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। वहीं जिन दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों के पंजीकरण को पांच वर्ष पूरे हो चुके हैं, उन्हें एक बार नए नियम के तहत 15 गुणा रजिस्ट्रेशन फीस देकर पंजीकरण कराना होगा।

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के तहत प्रदेश में सात लाख दुकानें पंजीकृत हैं। इन दुकानों के पंजीकरण से श्रम विभाग को अभी तक प्रत्येक वर्ष 10 करोड़ रुपये की आय होती थी। नए नियम के तहत अगले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष 150 करोड़ रुपये आमदनी होगी।

कोयले की कमी और GST की मार, यूपी में एक साल तक बंद रहेंगे ईंट-भट्ठे

उत्तर प्रदेश में मकान बनवाने वालों के सामने बड़ा संकट खड़ा होने वाला है, क्योंकि प्रदेश के ईंट भट्ठे एक साल के लिए बंद होने वाले हैं। ईंटों पर जीएसटी बढ़ाए जाने से यूपी ब्रिक्स एसोसिएशन नाराज है। एसोसिएशन ने कोयले की कीमतों में 200 से 300 फीसदी की बढ़ोतरी और जीएसटी बढ़ाए जाने के बाद ईंट भट्ठों को बंद करने का फैसला किया है।

दरअसल, उत्तर प्रदेश को प्रतिवर्ष 12 लाख टन कोयला मिलना था, लेकिन पिछले चार सालों में महज 76 हजार टन कोयला मिला है। विदेश से आने वाला कोयला काफी महंगा हो गया है। इसके साथ ही यूपी ब्रिक्स एसोसिएशन की सरकारी और अर्ध सरकारी निर्माण में लाल ईंट की आंशिक पाबंदी पर भी नाराजगी है।

यूपी ब्रिक्स एसोसिएशन का कहना है कि कोयला का दाम 350 फीसदी तक बढ़ाया गया है, यहां तक कि श्रमिक संविदा पर 5 फीसदी से 12 फीसदी जीएसटी बढ़ाया गया है, दूसरी ओर थर्मल पावर प्लांट के अवशिष्ट राख से ईंट बनाने के लिए केंद्र सरकार नई तरकीब अपना रही है, जिसके तहत एक ओर जीएसटी कम कर दिया गया।

'दूसरी ओर निर्देशिका जारी कर दिया गया कि 20 हजार वर्ग फुट से अधिक के भवन निर्माण तथा सरकारी निर्माण कार्य में राख की बनी ईंट का प्रयोग अनिवार्य होगा।' यही वजह है कि

ब्रिक्स एसोसिएशन ने प्रदेश और देश में एक साल तक ईंट भट्ठे बंद कर हड़ताल का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में अक्तूबर 2022 से सितंबर 2023 तक ईंट भट्ठे बंद रखने और देश में हड़ताल करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में 19 हजार ईंट भट्ठे हैं, जो एक साल तक बंद रहेंगे। इसका सीधा प्रभाव मकान बनवाने वालों पर पड़ेगा। यानी आने वाले समय में ईंट के दामे आसमान छू सकते हैं।

यूपी ब्रिक्स एसोसिएशन के पदाधिकारी ने बताया कि ईंट निर्माण में उत्पादन लागत 4 गुना बढ़ गई है, इसके अलावा अब नए-नए नियम-कानून लागू किए जा रहे हैं, इन कारणों से भट्ठा मालिक आर्थिक कर्ज के तले डूब चुके हैं और ईंट निर्माण में उत्पादन लागत इतनी बढ़ गयी है कि मुन्नाफा छोड़िए, लागत मूल्य भी निकालना मुश्किल हो गया है।

PM Gati Shakti: यूपी के विकास को नई गति देगी गति शक्ति, एक क्लिक में पता चलेगी प्रोजेक्ट की स्थिति

पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान योजना प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाली है। यह योजना प्रदेश के विकास को नई गति भी देनी वाली है। इसके माध्यम से प्रदेश में चल रही परियोजनाओं की स्थिति एक क्लिक में पता चल जाएंगी। परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी और पूरी प्लानिंग के साथ विकास हो सकेगा। इससे तय समय और तय बजट में परियोजनाएं पूरी होंगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लेकर बैठक की थी, जिसमें उन्होंने अधिकारियो को जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। पोर्टल को जल्द लांच करने के लिए प्रदेश के सभी विभागों के नोडल और टेक्निकल अधिकारियों की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी के तहत रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर में सभी विभागों के नोडल और टेक्निकल अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें 20 से अधिक विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। अभी तक चार सौ से अधिक विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका गया है। फिलहाल, नहर, औद्योगिक पार्क, नदियां, जल संसाधन, खनन, पर्यटन, आर्थिक परिक्षेत्र, बाढ़ मानचित्र, वन आदि 17 विषयों (लेयर्स) को एकीकृत किया जा चुका है।

पोर्टल पर भूमि अभिलेख, ड्रेनेज, बिजली ट्रांसमिशन, सड़क, सीवर लाइन, जलापूर्ति, बिजली पोल, ट्रैफिक लाइट पोल, बस टर्मिनल और सरकारी भवनों से जुड़ी परियोजनाएं भी लाइव होंगी. इसी प्रकार किसान बाजार, डेयरी, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक, आबकारी, खाद्य सुरक्षा, सिटी मास्टर प्लान, स्कूल/कॉलेज, मंडी अवस्थापना आदि से जुड़ी परियोजनाओं को लाइव किया जाएगा।

इनवेस्ट यूपी के सीईओ और पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल के टेक्निकल सपोर्ट यूनिट के अध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने बताया कि पोर्टल पर सभी विभागों से जुड़ी परियोजनाओं को अपडेट किया जा रहा है। इससे प्रदेश का समग्र और व्यवस्थित विकास होगा। निवेशकों और विभागों को भी नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि विभागों के अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ताकि सौ फीसदी शुद्धता के साथ धरातल पर हो रहे विकास कार्य लगातार अपडेट होते रहें। इसके अलावा तकनीकी सहयोग के लिए नौ विभागों के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जा रहा है।

छावनी में ऑनलाइन मानचित्र की शुरुआत, पहला आवेदन स्वीकृत

छावनी परिषद क्षेत्र के निवासियों के लिए बड़ी खुश खबर है। यहां पर कार्यालय में दौड़ लगाने के बजाय मानचित्र का आवेदन आनलाइन किया जा सकता है। ई-छावनी पोर्टल पर यह सुविधा शुरू कर दी गई है। अभी तक मेरठ विकास प्राधिकरण क्षेत्र के लोगों के लिए यह सुविधा शुरू की थी।

OMYSHA ENTERPRISES

Dealing in:

Roof Top Solar Power Plant, Solar Water Heater, Air Purifier, Waste-Water Treatment Plant etc.

Head Office: C-1/5, Jagrati Vihar,
Near EPF Office, Meerut

एमडीए की वेबसाइट पर आनलाइन बिल्डिंग अप्रूवल सिस्टम से आनलाइन मानचित्र स्वीकृत करा सकते हैं, इसी तरह से अब छावनी परिषद क्षेत्र के निवासियों को भी इस तरह की आधुनिक सुविधा का लाभ मिलने लगा है। धर्मपुरी सदर निवासी रीना गुप्ता व अमित कुमार गुप्ता ने संयुक्त आवेदक के तहत दो दिन पहले आवेदन किया था। दो दिन में ही उनका मानचित्र स्वीकृत हो गया। उन्होंने इसके लिए अभियंताओं और अधिकारियों का आभार जताया। कहा कि इस तरह की सुविधा से छावनी निवासियों को सहूलियत मिलेगी।

पहले लगते थे महीनों अब हो रहा झटपट:

अभी तक छावनी परिषद में मैनुअल यानी आफलाइन तरीके से मानचित्र के लिए आवेदन होता था। जिसमें कभी एक महीने तो कभी उससे भी ज्यादा समय लग जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रथम आवेदक अमित कुमार ने बताया कि उन्हें अपने पुराने मकान को तोड़कर नया मकान बनाने के लिए मानचित्र का आवेदन 10 दिन पहले किया था। दो-तीन दिन वहां बताया गया कि अब मैनुअल तरीके से नहीं हो पाएगा। चार दिन बाद आनलाइन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जब पोर्टल आनलाइन हुआ तो उन्हें जानकारी दी गई। इसके बाद उन्होंने आर्किटेक्ट एसके जैन की मदद से आवेदन किया।

SANGAL PAPERS LTD.

Manufacturing Papers Based on Customer Needs

Newsprint Paper, Superior Kraft Paper, Construction/Pastel Paper, Envelope Grade Paper, Ribbed Kraft Paper, High Bulk Paper Writing/Printing Paper, MG poster Grades & Other Specialized Grades Paper

Regd. Office/ Works
Village Bhainsa, 22 Km.
Meerut-Mawana Road, Mawana
Ph.: 01233-271137, 271464, 271515, 274324

आप भी करें आवेदन, देख सकेंगे प्रगति:

प्रथम आवेदक अमित ने बताया कि उन्हें रजिस्ट्री की कापी, मानचित्र की पूरी ड्राइंग, आधार, पैन, नो ड्यूज, आनरशिप के दस्तावेज, नियम का उल्लंघन न करने का शपथ पत्र आदि अपलोड करना होता है। सभी दस्तावेज को हरी झंडी मिलने के बाद शुल्क जमा करना होता है फिर आनलाइन ही स्वीकृत मानचित्र का प्रिंटआउट निकल आता है। आर्किटेक्ट एसके जैन ने बताया कि सिटीजन के लागिन से इसके लिए आवेदन किया जाता है। इसमें एक लाभ यह है कि आवेदक स्वयं कभी भी प्रगति की स्थिति देख सकता है जबकि एमडीए के पोर्टल पर सिर्फ आर्किटेक्ट ही देख सकता है।

XXXXXXXXXX